Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
July-December 2024 5(2), 628–632

ROLE OF WOMEN IN PANCHAYATI RAJ IN HARYANA

हरियाणा में पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका

Komal [1]

[1] Ph.D Research scholar department of history and archaeology, Maharishi Dayanand University, Rohtak, India

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i2.2024.5287

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: Women have always been an important integral part of the society, culture, economy, politics etc. aspects of any country. However, with time, the presence and contribution (role) of women in these systems has been increasing and decreasing. If world history is studied in the context of the status of women, it is known that women had an independent existence since the primitive age, but with time this independence turned into dependence. For example, women played an active role during the French Revolution (1789 AD). But the French Constitution of 1791 AD gave women the status of passive citizens, which finally ended in 1946 with French women getting the right to vote. If the political role of women is studied in the context of Indian history, then perhaps the decline of women's participation in public activities started after the Rigvedic era. But in the modern era, women re-entered politics during the First World War. In the present study, the role of women in Panchayati Raj in Haryana has been described. Apart from this, while evaluating the presence of women Sarpanch and Panch in the districts of Haryana, how can women be made aware of their position and powers? This has also been suggested.

Hindi: महिलाएँ सदैव किसी भी देश के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि पहलुओं का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग रही है। हालांकि समय के साथ-साथ इन व्यवस्थाओं में स्त्रियों की उपस्थिति एवं योगदान (भूमिका) घटती-बढ़ती रही है। यदि महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में विश्व इतिहास का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि महिलाओं का आदिम युग से ही स्वतंत्र अस्तित्व था किन्तु समय के साथ-साथ यह स्वतंत्रता परतंत्रता में परिवर्तित हो गई। उदाहरणस्वरूप फ्रांसिसी क्रांति (1789 ई॰) के दौरान महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। किन्तु 1791ई॰ के फ्रांसिसी संविधान द्वारा स्त्रियों को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया जो कि अंततः 1946 में फ्रांसिसी महिलाओं द्वारा मताधिकार प्राप्त करने के साथ ही समाप्त हुआ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में यदि महिलाओं की राजनीतिक भूमिका का अध्ययन किया जाए तो संभवतः ऋग्वैदिक युग के पश्चात् महिलाओं की सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी का पतन आरम्भ होता है। किन्तु आधुनिक काल में प्रथम विश्वयुद्ध के समय महिलाओं का राजनीति में पुनः आगमन होता है। प्रस्तुत अध्ययन में हरियाणा में पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के जिलों में महिला सरपंच एवं पंच उपस्थिति का भी मूल्यांकन करते हुए महिलाओं को उनकी पदस्थिति एवं शक्तियों के प्रति कैसे जागरूक किया जाए? यह भी सुझाव के रूप में दर्शाया गया है।

1. प्रस्तावना

महिलाएँ सदैव किसी भी देश के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि पहलुओं का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग रही है। हालांकि समय के साथ-साथ इन व्यवस्थाओं में स्त्रियों की उपस्थिति एवं योगदान (भूमिका) घटती-बढ़ती रही है। यदि महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में विश्व इतिहास का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि महिलाओं का आदिम युग से ही स्वतंत्र अस्तित्व था किन्तु समय के साथ-साथ यह स्वतंत्रता परतंत्रता में परिवर्तित हो गई। उदाहरणस्वरूप फ्रांसिसी क्रांति (1789 ई॰) के दौरान महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई एवं अपने हितों की हिमायत एवं उन पर चर्चा करने हेतु स्वयं के राजनीतिक क्लब शुरू किये जिनमें सबसे मशहूर क्लब 'द सोसायटी ऑफ़ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमैन' था। महिलाओं की प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की थी। किन्तु 1791ई॰ के फ्रांसिसी संविधान द्वारा स्त्रियों को निष्क्रिय नागरिक का

दर्जा दिया गया। लेकिन फिर भी मताधिकार एवं समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी चलता रहा। अंततः 1946ई॰ में फ्रांस की महिलाओं द्वारा मताधिकार प्राप्त कर लिया गया। इसी प्रकार 1776ई॰ में महिलाओं की स्वतंत्रता कानून पारित किए गए और अंततः 1869ई॰ में महिलाओं को पुरूषों के समान दर्जा दिया गया। परन्तु इतने कानून बनने के पश्चात् भी महिलाओं की अस्मिता एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता पर सदैव प्रश्नचिन्ह लगा रहा।

भारतीय इतिहास के संदर्भ में यदि महिलाओं की राजनीतिक भूमिका का अध्ययन करें तो संभवतः वैदिक युग के पूर्व भाग अर्थात् ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को समाज एवं परिवार में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे। यदि इस समय महिलाओं की राजनीति में भूमिका पर प्रकाश डालें तो पाते हैं कि वो 'विदध' एवं 'सभा' में पुरूषों के समान भाग लेती थीं। किन्तु उत्तर वैदिक काल में कन्या के जन्म को ही अभिशाप माना गया और यहीं से महिलाओं की सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी का पतन आरम्भ होता है, जो समय के साथ-साथ और ज्यादा बढ़ता जाता है। प्राचीन काल में केवल कुछ महिलाओं यथा- प्रभावती गुप्त, रूद्रम्मा देवी आदि को छोड़कर राजनीति में महिलाओं की भूमिका शून्य थी। मध्यकाल में रजिया सुल्ताना ने राजनीतिक सक्रियता प्रदर्शित की किन्तु वास्तविक स्थिति दयनीय रही। यदि आधुनिक काल में परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) के समय से महिलाओं की राजनीति में सक्रियता आरम्भ हुई। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् कुछ महिला संगठनों के बनने कुछ महिला नेताओं के उभरने तथा कुछ राजनीतिक संगठनों में महिलाओं के भाग लेने की पृष्ठभूमि के कारण कांग्रेस को अपने आंदोलनकारी कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल करना संभव हो पाया। ऐनी बेसेंट एवं सरोजनी नायडू जैसी महिला नेताओं ने कांग्रेस में महिलाओं की मौजूदगी व पहल करने का जो अहसास दिलाया उससे प्रेरित होकर महिलाओं ने राजनीति में शामिल होने की सोची।

अब यदि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीति का विश्लेषण करें तो स्वतंत्रता के आरम्भिक वर्षों में यह महसूस किया गया कि बिना समुचित प्रोत्साहन के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी की आशा करना निरर्थक होगा। अतः स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को जारी रखने हेतु 1957ई॰ में ही पंचायतों में दो महिला सदस्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश की गई थी। यदि दो महिलाएँ सदस्य चुनकर नहीं आ पातीं तो उन्हें सहयोजित किया जाना था। इसके पश्चात् अनेक राज्यों में महिलाएँ स्थानीय निकायों-ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं में निर्वाचित सदस्य की बजाए सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल हुई। हालांकि इसका यथोचित परिणाम नहीं निकला।

2. संवैधानिक प्रावधान

वर्ष 1993 भारतीय महिलाओं की उन्नति में एक ऐतिहासिक मोड़ था, जब ग्राम एवं जिला स्तरों पर महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु संविधान में संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत अंतस्थापित नये अनुच्छेद (243घ व 243न) में प्रावधान किये गए कि ग्राम, नगर, शहर एवं जनपद स्तरों पर निर्वाचित निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सिनो की संख्या सहित) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और स्थानीय निकायों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में ऐसे स्थान आबंटित किए जाऐंगे। वास्तव में इससे महिलाओं को प्रशासन के स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अनूठा अवसर प्राप्त होता है।

आज भारत में लगभग 2,25,000 ग्राम पंचायतें हैं, 5100 ब्लॉक समितियों एवं 475 जिला परिषद् है। इस लोकतंत्र की निचले स्तर की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता ग्राम पंचायत स्तर परर निर्वाचित सदस्यों (पंच) तथा अध्यक्ष (सरपंच) के रूप में महिलाओं को शामिल किया जाना है। उदारहणस्वरूप देश में लगभग 7,50,000 महिलाएँ 2,25,000 पंचायतों के लिए निर्वाचित हुई है। महिला सरपंचों की कुल संख्या लगभग 75,000 है। ब्लॉक स्तर पर समितियों में 17000 महिला सदस्य हैं (कुल सदस्यों का 1/3) तथा 1700 महिला अध्यक्ष है। जिला परिषद् के 475 सदस्यों में 1/3 संख्या महिलाओं की है।

3. हरियाणा में पंचायती राज में महिलाएँ

क्षेत्रीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा के एक राज्य के रूप में 1 नवम्बर 1966 को आने के पश्चात् हरियाणा में पंचायती राज एक्ट 1994 में लागू हुआ जिसको प्रभावी रूप से 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। तत्पश्चात् 24 अगस्त 1994 को पंचायती राज चुनाव नियम क्रियान्वित किए गए। बाद में हरियाणा पंचायती वित्तीय बजट, खाता, अंकेषण, टैक्ट एवं कार्य सम्बन्धी नियम 14 अगस्त 1996 को अधिसूचित किए गए। इसके अतिरिक्त समय के साथ-साथ पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन किए गए।

4. पंचायती राज में महिला प्रतिनिधित्व

2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 21,082,989 थी जिनमें 9,755,337 महिला आबादी थी जो कि कुल जनसंख्या का

48.21 प्रतिशत है। हरियाणा की गिनती भारत के विकसित राज्यों में की जाती है। लेकिन लैंगिक अनुपात के अनुसार प्रत्येक 1000 पुरूषों पर 861 महिलाएँ है जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत हैं। हरियाणा को ऑनर किलिंग के मामले भी कई बार देखने को मिलते हैं लेकिन वर्तमान स्थिति बेहतर है। महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी देखने को मिल रही है। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी लैंगिक अनुपात व महिला सशक्तिकरण हेतु सकारात्मक एवं प्रभावात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को प्रभावी बनाने हेतु निर्णय लेने के प्रति जागरूकता होना बेहद आवश्यक है। जिसे महिलाओं को अधिकाधिक शिक्षित बनाकर संभव किया जा सकता है।

प्रस्तुत तालिका (क) के माध्यम से विभिन्न समयानुसार महिला सरपंच एवं पंचों की प्रतिशतता दर्शाई गई है। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तालिका में 1995 से 2010 तक पंचायती चुनाव के 4 स्तर दर्शाऐं गए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि केवल 33 प्रतिशत महिलाएँ सरपंच पद हेतु चयनित थीं। इसी प्रकार 2005 एवं 2010 के पंचायती चुनाव में 33 प्रतिशत से भी अधिक महिलाएँ ग्राम पंचायत में पंच पद पर चयनित थीं। इस समय तक उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता जैसे कोई नियम नहीं थे। यह पाया गया कि राजनीति में चयनित महिलाएँ पुरूषों के प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर रही थीं और अधिकतर महिलाएँ तथाकथित पदों पर अपने पतियों की सामाजिक साख के कारण चयनित थीं। अतः महिलाओं को अपने अधिकारों हेतु जागरूक करने के बाद में जागरूकता अभियान चलाए गए।

तालिका (क)

हरियाणा में कुल महिला सरपंच एवं पंच

वर्ष	कुल सरपंच	कुल महिला सरपंच	कुल पंच	कुल महिला पंच
1995	5958	1994 (33.5)	54169	17928 (33.0)
2000	6035	2009 (33.3)	54682	18037 (33.0)
2005	6187	2113 (34.2)	60401	22294 (36.9)
2010	6083	2022 (33.2)	58857	21766 (37.0)
2016	6186	2565 (41.5)	60436	25945 (42.2)

Sources Various issues of statistics abstract of Haryana

इसी प्रकार यदि हरियाणा के विभिन्न जिलों की महिलाओं के सरपंच एवं पंच पद पर चयनित होने के संदर्भ में बात करें तो हरियाणा की कुल महिला सरपंचों में 23.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग से 25.8 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से एवं 50.8 प्रशित सामान्य वर्ग से चयनित हैं। कुछ जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों महिला सरपंचों की प्रतिशतता 40 प्रतिशत से भी अधिक है जो कि तालिका (ख) में दर्शाया गया है। महिला पंचों के संदर्भ में बात करें तो पाते हैं कि हरियाणा में कुल महिला पंचों में से 32.8 महिलाएँ अनुसूचित वर्ग से 27.5 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से एवं 39.7 प्रतिशत महिलाएँ सामान्य वर्ग से चयनित हैं जिनको जिलानुसार तालिका (ग) के माध्यम से दर्शाया गया है। हरियाणा राज्य पंचायती एक्ट के नियमों में हुए संशोधनों के अंतर्गत महिला पंचों के लिए भी संशोधनों के अंतर्गत महिला पंचों के लिए भी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी नियम लागू किये गए। नए नियमों के अंतर्गत पंच पद के लिए योग्य उम्मीदवार अनुसूचित वर्ग से 5वीं कक्षा पास एवं अन्य पिछडा वर्ग तथा सामान्य वर्ग 8वीं कक्षा पास महिला होगी। वर्तमान में हरियाणा में कुल महिला पंचों में 45 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ मैट्रिक पास है।

तालिका (ख)

हरियाणा में जिलानुसार महिला सरपंच (वर्ष 2016)

जिले	कुल सरपंच	कुल महिला सरपंच	अनुसूचित वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग
अम्बाला	408	178 (43.6)	46 (25.8)	45 (25.3)	87 (48.9)
भिवानी	468	179 (38.2)	41 (22.9)	20 (11.2)	118 (65.9)
फरीदाबाद	116	47 (40.5)	11 (23.4)	11 (23.4)	25 (53.2)
फतेहाबाद	257	107 (41.6)	23 (21.5)	24 (22.4)	60 (56.1)
गुरूग्राम	200	86 (43.0)	20 (23.3)	31 (36.0)	35 (40.7)
हिसार	308	126 (40.9)	28 (22.2)	25 (19.9)	73 (58.0)
झज्जर	250	100 (40.0)	23 (23.0)	11 (11.0)	66 (66.0)
जींद	301	116 (38.5)	27 (23.3)	12 (10.3)	77 (66.4)
कैथल	276	120 (43.5)	32 (26.7)	18 (15.0)	70 (58.3)
करनाल	380	174 (45.8)	41 (23.6)	23 (13.2)	110 (63.2)
महेन्द्रगढ़	346	143 (41.3)	36 (25.2)	74 (51.7)	33 (23.1)
मेवात (नूंह)	316	131 (41.4)	31 (23.7)	94 (71.7)	6 (4.6)
पलवल	259	108 (41.7)	22 (20.4)	29 (26.8)	57 (52.8)
पंचकूला	126	44 (34.9)	11 (25.0)	13 (29.5)	20 (45.5)
पानीपत	174	72 (41.4)	18 (25.0)	14 (19.4)	40 (55.6)
रेवाड़ी	358	139 (38.8)	32 (23.0)	67 (48.2)	40 (28.8)
रोहतक	139	56 (40.3)	14 (25.0)	3 (5.4)	39 (69.6)
सिरसा	337	144 (42.4)	27 (18.8)	29 (20.1)	88 (61.1)
सोनीपत	304	122 (40.1)	29 (23.8)	12 (9.8)	81 (66.4)
यमुनानगर	471	212 (45.0)	50 (23.6)	60 (28.3)	102 (48.1)
कुरूक्षेत्र	392	161 (41.1)	38 (23.6)	46 (28.6)	77 (47.8)
कुल	**6186**	**2565 (41.5)**	**600 (23.4)**	**661 (25.8)**	**1304 (50.8)**

तालिका (ग)

हरियाणा में जिलानुसार महिला पंच (वर्ष 2016)

जिले	कुल पंच	कुल महिला पंच	अनुसूचित वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग
अम्बाला	3199	1504 (47.0)	640 (42.6)	420 (27.9)	444 (29.5)
भिवानी	4748	2060 (43.4)	588 (28.5)	332 (16.1)	1140 (55.3)
फरीदाबाद	1286	523 (41.4)	140 (26.8)	140 (26.8)	243 (46.4)
फतेहाबाद	2594	1111 (42.8)	474 (42.7)	203 (18.2)	434 (39.1)
गुरूग्राम	1899	804 (42.3)	236 (29.4)	305 (37.9)	263 (32.7)
हिसार	3794	1518 (40.0)	522 (34.4)	315 (20.7)	681 (44.9)
झज्जर	2620	1110 (42.4)	314 (28.3)	152 (13.7)	644 (58.0)
जींद	3214	1285 (40.0)	380 (29.6)	198 (15.4)	707 (55.0)
कैथल	2835	1213 (42.8)	396 (32.6)	253 (20.9)	564 (46.5)
करनाल	3754	1640 (43.3)	564 (34.4)	366 (22.3)	710 (43.3)
कुरूक्षेत्र	3307	1555 (47.0)	552 (35.5)	543 (34.9)	460 (29.6)
महेन्द्रगढ़	3246	1435 (44.2)	408 (28.4)	711 (49.6)	316 (22.0)
मेवात (नूंह)	3133	1074 (34.3)	244 (22.7)	701 (65.3)	129 (12.0)
पलवल	2607	957 (36.7)	276 (28.9)	297 (31.0)	384 (40.1)
पंचकूला	908	407 (44.8)	125 (30.7)	111 (27.3)	171 (42.0)
पानीपत	2082	843 (40.5)	265 (31.4)	216 (25.6)	362 (43.0)
रेवाड़ी	3149	1370 (43.5)	435 (31.8)	662 (48.3)	273 (19.9)
रोहतक	1761	717 (40.7)	214 (29.8)	83 (11.6)	420 (58.6)
सिरसा	3447	1420 (41.2)	581 (40.9)	293 (20.6)	546 (38.5)
सोनीपत	3246	1314 (40.5)	362 (27.5)	215 (16.4)	737 (56.1)
यमुनानगर	3607	1635 (45.3)	649 (39.7)	492 (30.1)	494 (30.2)
कुल	**60436**	**25495 (42.2)**	**8365 (32.8)**	**7008 (27.5)**	**10122 (39.7)**

5. महिलाओं की भूमिका (भागीदारी)

हरियाणा में रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक समाज एवं पुरूषों के एकछत्र प्रभुत्व के कारण महिलाओं को अपने यथोचित राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों का प्रयोग करने का मौका बहुत कम मिला। किन्तु कुछ उदाहरण है जहाँ महिलाओं ने अपने पद- प्रतिष्ठा एवं शक्तियों का प्रयोग कर जन-कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास किए। उदाहरणस्वरूप हरियाणा के करनाल जिले की चांदसमंद ग्राम-पंचायत की महिला सरपंच ने मनरेगा योजना के तहत त्रि-जलाश्य व्यवस्था विकसित करवाई जिससे भविष्य के लिए भी जल सुरक्षित रखा जा सके। हरियाणा ग्राम-पंचायत की अन्य महिला सरपंच

धौज ने महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक कदम उठाए। जिसके तहत लड़कियों की स्कूली शिक्षा, कम्प्यूटर ज्ञान को प्रोत्साहन एवं पर्दा/घूंघट प्रथा का विरोध किया। इस प्रकार महिलाओं की एक सरपंच के रूप में सकारात्मक एवं क्रियाशील भूमिका भी देखने को मिलती है।

6. वास्तविक स्थिति

समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के जीवन के प्रत्येक स्तर को उठाने के प्रयास किये जाते रहे हैं। किन्तु यदि हरियाणा के संदर्भ में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता का व्यवहारिक अध्ययन किया जाए तो यह प्राप्त होता है कि ज्यादातर महिला सरपंच अपने पतियों की प्रोक्सी के रूप में कार्य करती है या फिर वो अपने पतियों की सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण राजनीतिक पद प्राप्त करती हैं, जिसका असर महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त अपनी पद की शक्तियों के प्रति अनभिज्ञता, शिक्षा का अभाव, घूंघट प्रथा आदि कारक देखने को मिलते हैं।

7. सुझाव

हरियाणा में महिलाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। घूंघट जैसी कुरीतियों को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि महिलाएँ स्वतंत्र रूप से आगे आएं। जहाँ तक राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न है तो महिलाओं को उनके अधिकारों एवं शक्तियों का वास्तविक ज्ञान कराने के लिए जागरूक अभियान चलाये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त महिलाओं को संवैधानिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसके लिए समय-समय पर संगोष्ठी या कैंप आदि आयोजित किए जाने चाहिए।

8. निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि भले ही पंचायती राज-व्यवस्था में महिलाओं के सरपंच एवं पंच के पद पर अप्रत्यक्ष तौर पर पुरूषों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। किन्तु कुछ महिलाएँ वास्तविक अर्थों में अपनी पद शक्तियों का प्रयोग कर जन-कल्याण हेतु कार्य कर रही है तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है।

संदर्भ एवं टिप्पणी

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2009, पृ॰ 18-19

मेहरोत्रा, ममता, महिला अधिकार, राधाकृष्ण प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2014, पृ॰ 12-13

3- JHARTA, Bhawana, Women and Politics in India, Deep & Deep Publications, New Delhi, p. 46-47

राय, सत्या, एम॰, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, दिल्ली विश्वविद्यालय, पुनर्मुद्रण, 2016, पृ॰ 568-70

कृष्णकांत, सुमन, इक्कीसवीं सदी की ओर, राजकमल प्रकाशन प्रा॰लि॰, 2001, पृ॰ 58-59

वही, पृ॰ 59-60

दुहन, प्रदीप कुमार, वुमैन रिप्रेजेंटेटिव इन ग्राम पंचायत इन हरियाणा, 2018, पृ॰ 1374

गोयल, अरूणा, वुमैन एम्पावरमेंट: मिथ और रियलिटी, दीप एंड दीप पब्लिकेशनज प्रा॰लि॰, न्यू दिल्ली, 2009, पृ॰ 210-11

दुहन, प्रदीप कुमार, उपरोक्त, पृ॰ 1375-76

वही, पृ॰ 1376

वही, पृ॰ 1378

वही, पृ॰ 1379

सिन्हा, राजेश कुमार, वुमैन इन पंचायत, 2018, पृ॰ 351